HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 953/2026
URN: CMA / 1999U / 2026

1. Ramprasad S/o Bhamlaram, Aged 45 Years,
2. Ladbai W/o Ramprasad, Aged 42 Years,
R/o Jaisinghpura, Tehsil Renni, District Alwar Rajasthan.

----Appellants-Claimants.

Versus

1. Mahaveer Prasad Meena S/o Vishram Meena, Aged 34 Years, R/o Jaisinghpura PS Renni, District Alwar, Rajasthan, Driver Vehicle No.- RJ-29-RB-3239.
2. Jagdish Prasad Meena S/o Kamlya, Aged 43 Years, R/o Digaria Kapoor PS Bandikui, District Dausa (Raj.) Owner Vehicle No. RJ-29-RB-3239.
3. Royal Sundaram General Insurance Company Limited, 607-611, 6th Floor B.G. City Point Subhash Marg, C-Scheme D-3, Jaipur (Rajasthan). (Insurer Vehicle No. RJ-29-RB-3239.)

----Respondents-Non-Claimants.

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (for Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/07/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राजगढ़ (अलवर)** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–21/2019, रामप्रसाद व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 26.09.2025** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **पवन कुमार** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 66,35,500/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **9,47,342/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,538/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक डीजे साउण्ड की दुकान कर, खेतीबाड़ी व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 18,000/– रुपये की आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 27.09.2018 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को डीजे साउण्ड की दुकान कर, खेतीबाड़ी व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 18,000/– रुपये

की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,538/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मृतक की दैनिक आय 213/– रुपये, तद्नुसार **मासिक आय 213 x 30 = 6,390/– रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी वक्त घटना मृतक की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक 20 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 6,390/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 2,556/– रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 8,946/– रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गई है, जो उचित प्रतीत होती है। तद्नुसार 8,946/– रुपये का 1/2 भाग 4,473/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,473/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय**

सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

8. तद्नुसार मृतक की निर्धारित आश्रित आय 4,473/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 4,473 x 12 x 18 = 9,66,168/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 40,000/– रुपये, इस प्रकार कुल 80,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त मदों में दिलवाई गई राशि में भी हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	9,66,168/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 80,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**10,76,168/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		9,47,342/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**1,28,826/–**

12. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **9,47,342/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **10,76,168/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

13. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

15. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/20